

9AG - 1760
18/7/19

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

कमांक प.5(2)चिस्वा/2/02/पार्ट

जयपुर, दिनांक 16 JUL 2019

डॉ. अनिल जैन
प्रमुख विशेषज्ञ (नित्र),
राज्य स्वास्थ्य कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
उदयपुर (राज.)

12/7/19

1438
16 JUL
NO/PA/DI/PH
D.M. & H.S. (P.H.)

विषय:- डॉ. अनिल जैन, प्रमुख विशेषज्ञ (नित्र) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने के संबंध में।

संदर्भ:- आपका आवेदन दिनांक 09.05.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार है कि आप द्वारा दिनांक 01.09.2019 से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का अनुरोध किया था। आम जन को चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराये जाने, विशेषज्ञ चिकित्सकों की अत्यधिक कमी, आउट डोर में रोगियों की संख्या में अभिवृद्धि होने के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिया जाना सम्भव नहीं है।

अतः आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन दिनांक 09.05.2019, जिसके द्वारा दिनांक 01.09.2019 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है, अस्वीकृत किया जाता है।

भवदीय,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक (जन.स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, राज. जयपुर को उनके पत्रांक 802 दिनांक 07.06.2019 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि डॉ. अनिल जैन, प्रमुख विशेषज्ञ (नित्र) को पत्र डिलीवर कराने का श्रम करें।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ. अनिल जैन, प्रमुख विशेषज्ञ (नित्र) को पत्र डिलीवर कराने का श्रम करें।
3. संज्ञित पत्रावली।

07/07/19
(ए.बी.दलवाल)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई-26/प्र.वि./ए-150/2019/ 1088 दिनांक : 23/7/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ अनिल जैन, प्रमुख विशेषज्ञ (नैत्र) को आज ही पत्र डिलीवर करवाकर अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करे।
- 2 डॉ अनिल जैन, प्रमुख विशेषज्ञ (नैत्र), लोव रिजर्व कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर को भेजकर लेख है कि आपका दिनांक 01/09/2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन को अस्वीकृत किया जा चुका है।
- 3 प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करवाने का श्रम करे।
- 4 निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

(9)
6/8/2019